सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 जेष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 435 राँची, सोमवार, 3 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

28 मई, 2019

संख्याः-5/आरोप-1-33/2015 का॰ 4125-- श्री विजय केरकेट्टा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरो, लोहरदगा को एक महिला से शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश संख्या-7096, दिनांक-07.08.2015 द्वारा निलंबित किया गया।

2. उक्त मामले में श्री केरकेट्टा को दिनांक 21.08.2015 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं०-7677, दिनांक-02.09.2016 द्वारा इनका निलंबन जारी रखा गया।

3. श्री केरकेट्टा के विरूद्ध दर्ज लोहरदगा महिला थाना कांड सं0-23/14, दिनांक 13.06.2014 एवं इससे संबंधित G.R. Case No. 299/2014, ST Case No. 170/15 में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, लोहरदगा द्वारा दिनांक 19.07.2017 को पारित आदेश में इन्हें आरोप मुक्त किया

गया, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं0-11928, दिनांक-06.12.2017 द्वारा श्री केरकेट्टा को निलंबन से मुक्त किया गया।

4. श्री केरकेट्टा द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 07.08.2015 से 06.12.2017 तक को विनियमित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त किया गया।

5. विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री विजय केरकेट्टा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरो, लोहरदगा की निलंबन अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97 के अन्तर्गत निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाता हैः-

(क) दिनांक 07.08.2015 से 20.08.2015 एवं दिनांक 20.07.2017 से 06.12.2017 तक की निलंबन अवधि में इन्हें सिर्फ जीवन यापन भत्ता देय होगा।

(ख) दिनांक 21.08.2015 से 19.07.2017 तक हिरासत में बिताई गई अवधि हेतु इन्हें जीवन यापन भत्ता भी देय नहीं होगा।

(ग) दिनांक 07.08.2015 से 06.12.2017 तक की अवधि पेंशन प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बिताई गई अवधि मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 435 -- 50